Seventeenth Loksabha

>

Title: Request the government to finish the reservation of SC/ST of people if they change their religion to Christanity or Muslim.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद सभापति महोदय । इस संविधान में 341 और 342 दो धाराएं है, जिसमें बताया गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैसे बनेंगे । मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है । धर्मांतरण होने के कारण हमारा जो आदिवासी समाज है, वह अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपना विचार सारा कुछ खो रहा है, क्योंकि उसका कल्चर बदल रहा है । हम ट्राइब्स को जो अधिकार देते हैं या जिनको ट्राइबल बनाते हैं, वह उनकी सभ्यता और संस्कृति के कारण देते हैं । संविधान का आर्टिकल-34 कहता है कि यदि कोई शेड्यूल्ड कास्ट अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, जो हिन्दुस्तान में धर्म है, चाहे वह सिख, बौद्ध या जैन को छोड़कर तथा हिन्दूइज्म का जो एक्सटेंशन है, यदि उसके बदले वह किसी दूसरे धर्म क्रिस्चिनिटी या मुस्लिम को अपनाता है, तो वह शेड्यूल्ड कास्ट नहीं रह पाता है ।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि 341 और 342 दोनों एक ही तरह की धाराएं हैं और कांस्टिट्यूशन में हमारे फोर फॉदर्स ने जो कहा है, तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लागू है, वही शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लागू हो । बुद्धिज्म, सिखिज्म या जैनिज्म के अलावा यदि वह क्रिस्चिनिटी में या मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं, उनके ट्राइबल के सारे अधिकार खत्म होने चाहिए, जिससे भारत की सभ्यता और संस्कृति बनी रहे । यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है । धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON: You are absolutely correct.